

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)

Telefax:0141-2222403

E-mail-dlbrajasthan@gmail.com

web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:पीआरओ/डीएलबी/2017/6142

दिनांक :01.06.2017

मैसर्स एन.एस. पब्लिसिटी

इण्डिया प्राईवेट लि.

जयपुर

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न घटकों के प्रचार-प्रसार हेतु नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित राजकीय होर्डिंग्स/यूनीपोल साईट्स पर फ्लैक्स लगाने बाबत।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत 5 जून, 2017 से प्रारम्भ हो रहे "स्त्रोत पर कचरे का पृथक्कीकरण अभियान" हेतु आमजन में जागरूकता पैदा करने एवं प्रचार-प्रसार के लिए नगरीय निकायों में उपलब्ध होर्डिंग्स/यूनीपोल साईट्स पर 01 जून, 2017 से 15 जून, 2017 तक फ्लैक्स लगाये जाने है।

डीआईपीआर (राजस्थान संवाद) के आदेश दिनांक 04.11.2015 एवं 28.10.2016 द्वारा आउटडोर मिडिया (होर्डिंग्स/यूनीपोल पर फ्लैक्स लगाये जाने सहित) एजेन्सियों को सूचीबद्ध किया जाकर निम्नानुसार दरें निर्धारित की गई है:-

Description	Items	Rate of Flex (per sq. ft.)	Rate of Fixing of flex (per sq. ft.)	Total Rate (per sq. ft.)
Designing and Printing of Flex, Flex Printing in Solvent Vinyl-Eco Solvent Flex 13 OZ	Hoarding	14/-	4/-	18/-
	Unipole	12/-	4/-	16/-

नोट: उक्त दरों पर नियमानुसार सेवाकर/वैट पृथक् से देय होगा।

डीआईपीआर (राजस्थान संवाद) में आपकी फर्म सूचीबद्ध है। आप उक्तानुसार डीआईपीआर दरों पर निम्न शर्तों के अध्याधीन संलग्न सूची एवं डिजाईन के अनुसार अविलम्ब कार्य प्रारम्भ करें।

1. फर्म द्वारा निर्धारित डिजाईन की बताये गये स्थल (मौके पर उपलब्ध होर्डिंग्स/यूनीपोल जहाँ है जैसी स्थिति में है) पर निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार फ्लैक्स लगाना होगा।
2. होर्डिंग्स/यूनीपोल की वास्तविक लम्बाई व चौड़ाई (20x10 व 40x10) वर्ग फीट की गणना की जावेगी।
3. फ्लैक्स पेरिंटिंग/फिक्सिंग के कार्य में प्रिन्टिंग का कार्य स्पष्ट एवं अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए एवं पेरिंटिंग/फिक्सिंग में कोई सलवट इत्यादि नहीं होनी चाहिए।
4. होर्डिंग्स/यूनीपोल पर लगाये गये फ्लैक्स के भुगतान का बिल मय प्रत्येक होर्डिंग्स/यूनीपोल की फोटोग्राफ मय दिनांक एवं लोकेशन (Geotagging) फर्म दस्तावेज सहित निदेशालय में प्रस्तुत करेगी।
5. निदेशालय द्वारा Geotagging से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्य का सत्यापन किया जायेगा, जिसके सत्यापन उपरान्त भुगतान की अभिशषा की जावेगी।
6. Geotagging हेतु आवश्यक लिंक विभागीय वेबसाईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in पर देना होगा।

7. Geotagging के दौरान इंटरनेट नहीं चलने की स्थिति में Geotagging नहीं हो पायेगी। इस स्थिति में संबंधित नगरीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी यथा आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/राजस्व अधिकारी/कर निर्धारक/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियंता/सफाई निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक (किसी एक से) से सत्यापन करवाते हुये भिजवाना होगा।
8. कार्य की Regular Monitoring समय-समय पर निदेशालय में गठित कमेटी द्वारा की जावेगी।
9. कार्य अनुमानित लागत का निर्धारण tentative List of Hoardings/Unipole के आधार पर किया गया है। वास्तविक राशि की गणना फ्लैक्स लगाने के आधार पर होगी।
10. कार्य को निर्धारित समयावधि में किया जाना होगा। कार्यादेश दिये जाने के तुरन्त पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।
11. कार्य में देरी की स्थिति में नियमानुसार शारित आरोपित की जावेगी।
12. कार्य की मात्रा/अवधि नियमानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकेगी। जिस हेतु निदेशक अधिकृत होंगे। उक्त कार्य के दौरान 3rd Party की Risk एवं Liability स्वयं फर्म की रहेगी।
13. RTPP Act /Rule 2013 में समस्त प्रावधान लागू रहेंगे।
14. विवाद की स्थिति में निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
15. न्यायिक क्षेत्र जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।

Sd/-
(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक : 01.06.2017

क्रमांक:पीआरओ/डीएलबी/2017/6142-6345

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
8. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिकाएं समस्त राजस्थान।

Sd/-
जनसम्पर्क अधिकारी
1/6/2017